


18/9/23

अपीलान्ट के अधिमाधक उपर अपीलान्ट
के अधिमाधक ने आदेशिका दि० 10/10/22
की पालना नहीं की है। उक्त आदेशिका में
रिपोर्ट की तबवी हेतु तीन दिवस में सम्मन
तबवाना पेश करने के आदेश दिये गये थे।
परन्तु अपीलान्ट के अधिमाधक ने मादिनांक
तक अप्रार्थीगण की तबवी हेतु सम्मन तबवाना
पेश नहीं किया है मप्रार्थीगण की तबवी हेतु
दिनांक 17/7/23 अंतिम अवसर प्रदान किया गया
इसके उपरान्त भी तबवी हेतु सम्मन पेश नहीं
किये गये। अतः यह अपील मप्रार्थीगण/रिपोर्ट
की तबवी नहीं कराने के डिफाक्ट में में
स्पर्जिन की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार
दोकर नम्बर से कम की जाकर बाउ तबुमील
शरिख रफतर है। आदेश सुनाया गया।


अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)